न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 99/2025 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांक :– 07/10/2025
निर्णय दिनांक :– 14/01/2026

अनवान

1. राजु उर्फ राजकुमार गर्ग पिता चन्दनमल जाति गर्ग निवासी बरतु तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम राशमी, पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 179, 180, 185, 192, 193, 194 कुल किता 06 कुल रकबा 1.3700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम राजकुमार के बजाय राजु पिता चंदनमल भूलवश या जानबूझ कर दर्ज रिकॉर्ड है जो उसके खाते कब्जे की होकर उसे अपने बाप दादा से मिली है। प्रार्थी का नाम राजु पिता चंदनमल के बजाय राजकुमार पिता चंदनमल दर्ज किया जाना आवश्यक है वरना उसे भविष्य में भारी हानि व परेशानी होगी। प्रार्थी का नाम राजु के बजाय राजकुमार पिता चंदनमल दर्ज किया जावें तो माफिक विद्युत बिल, राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, जनआधार कार्ड के सामन एक हो जायेगा तो विवाद समाप्त हो जायेगा तथा अन्य सहखातेदार के हक हकुक संबंधित कोई विवाद नहीं है एवं न ही कोई दाद चाहिए, इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में राजु पिता चन्दनमल के बजाय राजकुमार

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

पिता चंदनमल दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावें एंव तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें तथा हर्जा खर्चा मुकदमा एवं अन्य कोई दाद जो न्यायालय उचित समझे प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया कि वादपत्र की कॉलम संख्या 01 में दर्ज भूमि ग्राम राशमी की आराजी संख्या 179, 180, 185, 192, 193, 194 किता 06 रकबा 1.3700 हैक्टेयर में वादी का नाम राजू पुत्र चन्दनमल जाति गुरू की प्रविष्टी सहखातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। वादपत्र की कॉलम संख्या 02 स्वीकार है। वादपत्र की कॉलम संख्या 03 स्वीकार है। वादी के अन्य पहचान के दस्तावेजों में नाम राजकुमार पिता चंदनमल अंकित है। वादपत्र की कॉलम संख्या 04 स्वीकार है। वादपत्र की कॉलम संख्या 05 स्वीकार है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी अपने नाम संशोधन बाबत् साक्ष्य में पहचान दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष प्रापत करें तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने नयनकंवर पत्नी छीतरसिंह राजपूत, प्रेमादेवी पत्नी मोहनलाल सोनी, राजकुमार उर्फ राजु पिता चंदनमल गर्ग, तेजपाल पिता चंदनमल गर्ग, भगवती पुत्री चंदनमल के शपथपत्र पेश किए।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड में भी राजकुमार पिता चन्दनमल दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब व पटवारी हल्का लसानी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों एवं

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम राशमी, पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम राजु पुत्र चन्दनमल के स्थान पर राजु उर्फ़ राजकुमार पिता चन्दनमल राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द